आइए, हम खाद्यान्न की महत्ता को समझते हुए उसकी बर्बादी को रोकने का संकल्प लें, ताकि विश्व में एक स्वस्थ और कुपोषण रहित समाज का निर्माण हो सके।

—— केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम, उप्र

देश में 2025 तक बाल विवाह में 10 प्रतिशत की कमी लाना अभियान का उद्देश्य।

—— कैलाश सत्यार्थी,नोबल शांति पुरस्कार विजेता

भाकियू का अनिश्चितकालीन धरना जारी

सहारा न्यूज ब्यूरो

ग्रेटर नोएडा।

मांग पूरी न होने पर धरनास्थल पर ही मनाएंगे दिवाली

प्राधिकरण अधिकारियों के साथ आज होगी वार्ता

जमीन अधिग्रहण से प्रभावित सभी किसानों को बढ़ा मुआवजा व अन्य सुविधाएं दिए जाने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन का यमुना एक्सप्रेसवे के जीरो प्वाइंट के पास अनिश्चिकालीन धरना जारी है। तीसरे दिन रविवार को हुई पंचायत में आगे की रणनीति बनाई गई। मांगें पूरी न होने पर किसानों ने धरना स्थल पर ही दिवाली मनाने की बात कही है। धरने में शामिल होने पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष राजपाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश के मजदूर- किसान आपके साथ हैं, आने वाले समय में प्राधिकरण के खिलाफ आंदोलन करना पड़ेगा तो पीछे नहीं रहेंगे। शासन प्रशासन जबरन धरना समाप्त नहीं करा सकता।

संगठन के पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष पवन खटाना ने बताया कि सोमवार को प्राधिकरण अधिकारियों के साथ वार्ता होगी। किसानों की प्रमुख मांगों में 64.7 फीसद अतिरिक्त मुआवजा, 10 फीसद प्लॉट आदि शामिल है। सुनील प्रधान ने कहा कि प्राधिकरण के अधिकारी किसानों को बरगलाते रहते हैं, अगर किसानों की मांगें नहीं मानी गई तो आंदोलन जारी रहेगा और दिवाली भी धरना स्थल पर ही मनाएंगे। धरने में कृष्ण कुमार शर्मा, राजीव मलिक, सुभाष चौधरी, मटरू नागर, अनित कसाना, मोहित कसाना, राजे प्रधान, परविंदर अवाना, सुरेंद्र ढाक, महेश खटाना, योगेश भाटी, बेली भाटी, योगेश शर्मा, विनोद शर्मा सहित बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए।

पीईटी परीक्षा के नाम पर लूट : संजय सिंह

सहारा न्यूज ब्यूरो

नोएडा।

आम आदमी पार्टी ने आयोजित किया युवा कार्यकर्ता सम्मेलन

आम आदमी पार्टी के यूथ विंग ने रविवार को पश्चिमी प्रांत के युवाओं के लिए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष पंकज अवाना के नेतृत्व में आयोजित सम्मेलन में पार्टी के यूपी प्रभारी व सांसद संजय सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे।

इस मौके पर उन्होंने कहा कि पीईटी परीक्षा के नाम पर प्रदेश के युवाओं से 800 करोड़ रुपए लूटे गए। सांसद संजय सिंह ने पीईटी की परीक्षा की आलोचना करते हुए कहा कि जब देश में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री बनने के लिए कोई परीक्षा नहीं होती है, तो इंजीनियरिंग, एमबीए, एमकॉम, बीकॉम करने वाले युवाओं को आखिर क्यों साबित करना पड़ रहा है कि वह क्लर्क और लेखपाल जैसी नौकरियों के लिए पहले पीईटी परीक्षा के माध्यम से अपनी योग्यता साबित करें। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि उनके पास कौन सी डिग्री है जो आज के युवाओं को अपनी योग्यता साबित करने के लिए ट्रेन के धक्के खाकर परीक्षा देनी पड़ रही है।

आप सांसद संजय सिंह ने गृहमंत्री अमित शाह से सवाल करते हुए कहा कि किस आधार पर उन्होंने अपने बेटे जय शाह को बीसीसीआई का सचिव बना रखा है । सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को पूंजीपति विचारधारा का व्यक्ति बताते हुए कहा कि उन्होंने सारा पैसा अपने पूंजीपति मित्रों अडानी और अंबानी को दे दिया।

इस मौके पर निकाय चुनाव समिति के प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह, पश्चिम प्रांत अध्यक्ष सोमेंद्र ढाका, निवर्तमान प्रदेश महासचिव दिनेश पटेल,व्यापार प्रकोष्ठ अध्यक्ष डॉ छवि यादव, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ अध्यक्ष बोइसाली सिन्हा, यूथ विंग प्रदेश महासचिव अंकित परिहार आदि मौजूद रहे।

सड़कें गड्ढों में तब्दील

लोग गिरकर हो रहे घायल

नोएडा(एसएनबी)। नोएडा में बीते दिनों हुई बारिश के बाद सडक़ों की बदहाली सामने आ रही है। कहीं तारकोल से गिट्टियां अलग हो गई है, तो कहीं सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई है। नई बनी सड़क भी उखड़ने लगी है। इसकी वजह से लोग हादसे का शिकार हो रहे है। सेक्टर-94, सेक्टर-28 में सड़कों पर गड्ढे हो गए है, जिसमें लोग गिरकर घायल हो रहे हैं।

एलिवेटेड रोड से उतरकर एक्सटेंशन को जोड़ने वाली सड़क पर मामूरा अंडरपास के ऊपर की सड़क का खस्ताहाल है। पांच मीटर के दायरे में सड़क नहीं केवल गड्ढे नजर आते है। गिट्टियां बिखरी रहती है। यहां पर हमेशा भारी यातायात रहता है। एक्सटेंशन की तरफ से आने वाले वाहन सेक्टर-71 मेट्रो वाली सड़क के लिए कट लेते है।

एलिवेटेड रोड से सेक्टर-61 की तरफ जाने वाले वाहन भी कट लेते है। मामूरा की तरफ से आने वाले वाहन भी यहां से मुख्य सड़क पर जुड़ते है। बारिश के बाद यह सड़क और बदहाल हो गई है। इस रोड पर देर रात तक भारी यातायात रहता है। दोपहिया वाहन चालकों को हर समय गिरने का डर बना रहता है। सेक्टर-71 में अंडरपास के ऊपर वाले चौराहे पर भी सडक़ क्षतिग्रस्त है। तारकोल की पूरी परत उखड़ गई है। रोड पर गिट्टियां फैल गई है। इसमें दोपहिया वाहन चालक आए दिन फिसल कर गिर रहे है। सेक्टर-34 की तरफ से आते है तो सेक्टर-52 मेट्रो के पास जब सर्विस रोड पर में प्रवेश करते है तो वहां भी सड़क टूटी हुई है।

पटाखों की अवैध बिक्री रोकने गई पुलिस पर हमला

पुलिस ने मामले में एक महिला समेत 14 को किया गिरफ्तार

साहिबाबाद (एसएनबी)। थाना टीला मोड़ पुलिस पर फरुखनगर कस्बे में शनिवार की रात को उस समय भीड़ ने हमला कर दिया, जब पुलिस पार्टी पटाखों/आतिशबाजी की अवैध बिक्री और बेचने और बनाने के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने गई थी। बाद में पुलिसएक महिला सहित 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया।

थाना टीला मोड़ पुलिस को सूचना मिली थी कि फरुखनगर असालत पुर कस्बे में एक स्थान पर भारी मात्रा में आतिशबाजी का सामान बना रहे है और बिक्री कर रहे है। इस सूचना पर पुलिस नासिर पुत्र कलुआ निवासी असलतपुर के घेर पर पुलिस पार्टी द्वारा छापा मारा गया। छापा मारने की सूचना पर वहां मौजूद आसपास के लोगों ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया और पुलिस कर्मियों की जमकर धुनाई कर दी। इस हमले की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने एक महिला सहित 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनकी पहचान आजाद पुत्र ईसब अली, दिलशाद पुत्र अफसर, शाहिद पुत्र तौशीफ निवासी शान मस्जिद चिड़िया मोहल्ला, इस्माइल पुत्र नजर मोहम्मद, निवासी जामा मस्जिद के पास फरुखनगर, आरिफ पुत्र पप्पू निवासी बड़ी मस्जिद, जमशेद पुत्र इमाम अली मदरसे वाली गली, परवेज पुत्र पप्पू निवासी बड़ी मस्जिद के पास, शेरखान पुत्र अली शेर निवासी सान मस्जिद के पास, मो.साजिद पुत्र तौसीफ निवासी मदरसे बाली गली, इरफान पुत्र सगीर निवासी जामा के पास, मुस्तकीन पुत्र जाहिद निवासी मस्जिद वाली गली, अरमान पुत्र जमशेद निवासी मदरसे वाली गली शमीम पुत्र निजामुद्दीन निवासी मदरसीले वाली गली के अलावा शमां को गिरफ्तार किया गया। इन लोगों से 18 कट्टे अवैध पटाखे, बरामद किए गए।

कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड

kotak

कॉर्पोरेट पहचान संख्या – L65110MH1985PLCO38137

पंजीकृत कार्यालय : 27, बीकेसी, सी–27, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400051 शाखा कार्यालय : 1/11, प्रथम तल, पूर्वी पटेल नगर, नई दिल्ली –110 008

अचल संपत्ति की ई–नीलामी सह बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के परंतुक के साथ पठित नियम 9 (1) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना। एतद्द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार (रों), गारंटर (रों) और/या बंधकदाता (ओं) को सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति **कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड** ("प्रतिभूत लेनदार") को बंधक/प्रभारित की गई है, जिसका कब्जा प्रतिभूत लेनदार के प्राधि.त अधिकारी द्वारा लिया जा चुका है, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड की कर्जदारों नामतः **मैसर्स शिव शंकर ऐंड कम्पनी ग्रेन्स प्रा. लिमिटेड ("कर्जदार") और 1. श्री शिव शंकर बंसल, 2. श्री गौरी शंकर बंसल, 3. श्रीमती नीलम बंसल, 4. मैसर्स एच जी एग्रो फूड्स प्रा. लि. ("गारंटर तथा/अथवा बंधकदाता")** की तरफ मांग सूचना दिनांकित **03–11–2017** के अनुसार **31–10–2017** तक बकाया **रु. 30,93,08,393 (रूपए तीस तिरानवे लाख आठ हजार तीन सौ तिरानवे मात्र)** पूर्ण और अंतिम भुगतान/वसूली तक आगे चक्रवृद्धि आधार पर संविदात्मक दर पर ब्याज और अन्य प्रभारों की वसूली के लिए **दिनांक 4 नवम्बर, 2022** को ई–नीलामी के माध्यम से "जैसा है जहां है आधार", **"जैसा है जैसा है आधार" और "जो कुछ भी है आधार" पर बेची जाएगी।** नीलामी के लिए रखी गई अचल संपत्ति का विवरण/वर्णन, सुरक्षित मूल्य, धरोहर राशि और नीलामी कार्यक्रम नीचे दिया गया है :

क्र. सं.	बंधकदाता/ओं का नाम	ई–नीलामी हेतु प्रस्तुत अचल/चल सम्पत्ति का विस्तृत विवरण	सुरक्षित मूल्य (आईएनआर) (आईएनआर)/धरोहर राशि जमा
1	श्री शिव शंकर बंसल तथा श्री गौरी शंकर बंसल,	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : सम्पत्ति सं. 23 का सम्पूर्ण प्रथम और द्वितीय तल, छत के अधिकारों के साथ, ब्लॉक ए, परिमाप कुल क्षेत्रफल 300 वर्ग गज, उसके नीचे भूमि में यथानुपात अविभाजित हिस्सा सहित, स्थित अशोक विहार, फेज–1, दिल्ली–92 और सम्पत्ति की चौहद्दी निम्नानुसार है –– उत्तर : 60 फीट चौड़ी रोड, दक्षिण : सर्विस लेन, पूरब : प्लॉट नंबर 22, पश्चिम : प्लॉट नंबर 24	रु. 6,12,00,000/– (रूपए छह करोड़ बारह लाख मात्र) रु. 61,20,000/– (रूपए इकसठ लाख बीस हजार मात्र)

अधोहस्ताक्षरी अपने पूर्ण विवेक पर और संभावित खरीदारों के पूर्व अनुरोध पर, उक्त संपत्ति के निरीक्षण की व्यवस्था, अपने अधि.त प्रतिनिधि/एजेंट के माध्यम से **28 अक्टूबर, 2022 को अपराह्न 03.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक के बीच** कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण नियम और शर्तें :

1. ई–नीलामी केवल "ऑन लाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली" के माध्यम से वेबसाइट **www.bankeauctions.com** के माध्यम से 4 नवंबर 2022 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक के बीच, 5 मिनट प्रत्येक की अवधि के असीमित विस्तार के साथ, आयोजित की जाएगी। ई–नीलामी के बारे में विवरण के लिए इच्छुक बोलीदाता मैसर्स सी1 इंडिया प्रा. लिमिटेड, तृतीय तल, प्लॉट नंबर 68, सेक्टर–44, गुड़गांव, हरियाणा से संपर्क कर सकते हैं, संपर्क व्यक्ति **श्री विनोद चौहान– 98138–87931, ईमेल : delhi@clindia.com और/या support@bankeauctions.com. हेल्पलाइन नंबर 91–124 4302020/ 2021/ 2022/2023/2024. सपोर्ट मोबाइल नंबर + 91–7291981124/25/26.** 2. इच्छुक बोलीदाता नीलामी विवरण और बिक्री के नियम और शर्तों के लिए बैंक की आधिकारिक वेबसाइट–**https://www.kotak.com/en/bank-auctions.html** और/या **https://auctions.kotak.com** पर जा सकते हैं। 3. नीलामी बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, बोलीदाताओं को पोर्टल **https://www.bankeauctions.com** पर जाने की सलाह दी जाती है और बोली प्रक्रिया में भाग लेने वाले बोलीदाताओं के लिए उक्त नियम और शर्तें बाध्यकारी होंगी। 4. यह अनुरोध किया जाता है कि इच्छुक बोलीदाताओं को बोली और अन्य दस्तावेज अपलोड करने से पहले पोर्टल **https://www.bankeauctions.com** से लॉगइन आईडी और पासवर्ड जनरेट करना आवश्यक है। 5. बोली प्रपत्र निर्धारित प्रपत्र में भरा जाना है और केवल बोलीदाता के केवाईसी दस्तावेजों के साथ पोर्टल **https://www.bankeauctions.com** पर 3 नवंबर, 2022 तक या उससे पहले 4.00 अपराह्न तक ऑनलाइन अपलोड किया जाना है, और विधिवत भरे हुए और हस्ताक्षरित बोली दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां और बोलीदाताओं के केवाईसी **manu.shrotriya@kotak.com** और **vikram.sharma@kotak.com** पर मेल द्वारा भेजे जाने चाहिए। बोलीदाता को ईमेल का विषय **"मैसर्स शिव शंकर ऐंड कम्पनी ग्रेन्स प्रा. लिमिटेड के खाते में संपत्ति के क्रय हेतु"** लिखना चाहिए। 6. संभावित बोलीदाता, मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से लॉगइन आईडी और पासवर्ड बनाने और ऑनलाइन बोली प्रक्रिया आदि के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण उपरोक्त नंबरों पर प्राप्त कर सकते हैं। 7. धरोहर राशि जमा (ईएमडी) **आरटीजीएस/एनईएफटी/निधि अंतरण** के माध्यम से **खाता संख्या 06410125272001,** कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, नरीमन प्वाइंट शाखा, मुंबई, आईएफएससी कोड : KKBK0000958, 3 नवंबर, 2022 को या उससे पहले शाम 04.00 बजे तक जमा करनी होगी। आरटीजीएस/एनईएफटी/निधि अंतरण केवल इच्छुक बोलीदाताओं के खातों से ही किया जाएगा। किसी तकनीकी गड़बड़ी के कारण ईएमडी और मैं जमा करने में या निर्धारित समय सीमा के भीतर बोली दस्तावेज जमा करने में देरी के मामले में, अधि.त अधिकारी, अधिकतम बोली भागीदारी और परस्पर बोली प्रक्रिया, अपने विवेकाधिकार पर और उसकी संतुष्टि पर, किसी भी व्यक्ति को कोई प्रकटीकरण दिए बिना निर्धारित कटऑफ समय के बाद प्राप्त बोली को स्वीकार कर सकते हैं। ईएमडी राशि जमा किए बिना जमा की गई कोई भी बोली स्वतः निरस्त मानी जाएगी। प्रस्तावित बोलीदाता द्वारा जमा की गई ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। 8. प्रस्तुत की जाने वाली बोली मूल्य आरक्षित मूल्य के बराबर और/या उससे अधिक होगी और बोली प्रक्रिया के दौरान, बोली लगाने वाले बोलीदाताओं को अपनी बोली **रुपये 1,00,000/– (रुपये एक लाख मात्र)** के गुणकों में बढ़ानी होगी। 9. यदि कोई बोली ई–नीलामी कार्यवाही के समापन समय के अंतिम 5 मिनट के भीतर रखी जाती है, तो समापन समय स्वचालित रूप से और तुरंत 5 मिनट तक बढ़ा दिया जाएगा जैसा कि ऊपर बताया गया है। 10. सफल बोलीदाता को उच्चतम बोली राशि का 25% (पहले से भुगतान की गई ईएमडी सहित) ई–नीलामी बिक्री की कार्यवाही बंद होने पर या ई–नीलामी के दिन व्यावसायिक घंटे बंद होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस पर ऊपर निर्धारित मोड में जमा करना होगा। उच्चतम बोली राशि का शेष 75% उस तारीख से 15 दिनों, जिस दिन ऐसे सफल बोलीदाता को बिक्री की स्वी.ति/पुष्टि की जाती है या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जमा करना होगा, जो अधि.त अधिकारी के विवेकाधिकार पर और सरफेसी अधिनियम, 2002 और सुरक्षा ब्याज नियम, 2002 के प्रावधानों के भीतर होगी। . पया ध्यान दें कि बिक्री प्रतिफल के भुगतान के लिए समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी और सफल नीलामी खरीदार को घटना में दैवीय आपदा के आधार पर दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा, यदि वह किसी भी कारण से निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान करने में विफल रहता है। 11. उच्चतम बोली लगाने वाले का संपत्ति पर तब तक कोई अधिकार और हक नहीं होगा जब तक कि उसके पक्ष में बिक्री प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है, जो संपूर्ण नीलामी मूल्य और अन्य आकस्मिक खर्चों की वसूली के अधीन है। बिक्री ई–नीलामी के नियमों और शर्तों के अधीन होगी और उस प्रभाव के लिए सुरक्षित लेनदार द्वारा पुष्टि की जाएगी। 12. यदि सफल बोलीदाता पूरी बोली/नीलामी राशि जमा करने में विफल रहता है, तो सफल बोलीदाता द्वारा पहले ही जमा की गई राशि को जब्त कर लिया जाएगा और चूककर्ता बोलीदाता का न तो संपत्ति पर और न ही जमा की गई राशि पर दावा होगा। प्राधिकृत अधिकारी नीलामी संपत्ति/संपत्तियों के संबंध में सरफासी ऐक्ट, 2002 और प्रतिभूति हित नियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार उसे उपलब्ध किसी एक या अधिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा। 13. उपरोक्त वर्णित निर्धारित अवधि के भीतर संपूर्ण बिक्री प्रतिफल प्राप्त होने पर, अधि.त अधिकारी बिक्री प्रमाण पत्र जारी करेगा, उसके बाद बिक्री पूरी हो जाएगी, और उसके बाद **कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड** किसी भी दावे पर विचार नहीं करेगा। 14. बिक्री प्रमाण पत्र उसी नाम से जारी किया जाएगा जिसमें बोली जमा की गई है। बोली में उल्लिखित किसी व्यक्ति (व्यक्तियों) के नामों के बिक्री प्रमाण पत्र में शामिल/प्रतिस्थापन के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। 15. असफल बोलीदाताओं को ईएमडी राशि, **कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड** द्वारा उनके खातों में आरटीजीएस/एनईएफटी/फंड ट्रांसफर के माध्यम से, 10 (दस) कार्य दिवसों के भीतर और बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी। 16. अधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण बताए किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या अधिसूचित ई–नीलामी बिक्री को स्थगित/रद्द करने का पूर्ण अधिकार है। बोली जमा करने के बाद ई–नीलामी बिक्री के स्थगित/रद्द करने की स्थिति में, बोलीदाताओं द्वारा जमा की गई ईएमडी बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी और यदि बोलियां खारिज कर दी जाती हैं, तो अधि.त अधिकारी, निजी संधि द्वारा संपत्ति की बिक्री के लिए, किसी भी बोलीदाता या अन्य पार्टियों के साथ बातचीत कर सकता है। 17. यदि कोई बोली दाता नीलामी के तहत 1 से अधिक सम्पत्ति के लिए बोली लगाने का इच्छुक है, तो बोलीदाता को उपरिवर्णित प्रक्रिया का पालन करते हुए हर सम्पत्ति के लिए अलग बोली प्रस्तुत करनी होगी। 18. ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट प्रतिभूत परिसंपत्तियों का विवरण अधि.त अधिकारी/प्रतिभूत लेनदार की सर्वोत्तम जानकारी के लिए कहा गया है, लेकिन अधि.त अधिकारी/प्रतिभूत लेनदार इस उद्घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत विवरण या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि, यह निमंत्रण संभावित बोलीदाताओं को आमंत्रित करने के लिए है और नीलामी को प्रभावित करने के लिए अधित अधिकारी या कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड की ओर से किसी भी प्रकार का बाध्यकारी दायित्व नहीं बनाता है। प्राधि.त अधिकारी बिना कोई कारण बताए और बिना किसी दायित्व के प्रक्रिया को रद्द या संशोधित करने और/या स्वीकार नहीं करने और/या किसी भी इच्छुक पार्टी / संभावित निवेशक /बोली दाता को अयोग्य घोषित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। 19. संभावित बोलीदाताओं को एतद्द्वारा सूचना/चेतावनी दी जाती है कि बैंक को माननीय डीआरटी–1, दिल्ली के समक्ष प्रतिभूतिकरण आवेदन (एस.ए.) सं. 126/2019 के लम्बित होने के अतिरिक्त किसी ऋणभार की जानकारी नहीं है। इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे स्थानीय प्राधिकरण की बकाया राशि अर्थात नगरपालिका कर, रखरखाव/सोसाइटी शुल्क, बिजली और पानी के शुल्क और हस्तांतरण शुल्क/प्रभार सहित किसी भी अन्य बकाया या करों के संबंध में स्वतंत्र जांच करें। प्राधिकृत अधिकारी या बैंक नीलाम की गई संपत्ति के संबंध में सरकार या किसी अन्य व्यक्ति के किसी भी शुल्क, ग्रहणाधिकार, भार या किसी अन्य देय राशि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वे वैधानिक देनदारियों, संपत्ति कर की बकाया, बिजली बकाया आदि सहित संपत्ति पर भार के संबंध में अपनी स्वतंत्र जांच करें। यदि नीलामी प्रक्रिया के बाद, बिक्री प्रमाणपत्र पंजीकरण और कब्जा हस्तांतरण तक किसी भी समय, बैंक को आगे कार्यवाही की मनाही, किंतु उसी तक सीमित नहीं, का आदेश किया जाता है, तो बैंक अब तक जमा किया जा चुका धन, अपने विवेक के आधार पर, सम्पत्ति की बिक्री के निमित्त जमा की जा चुकी राशि बिना किसी ब्याज तथा/अथवा क्षतिपूर्ति तथा/अथवा दावों के वापस करेगा। 20. यदि बोली लगाने वाले को ई–नीलामी बिक्री में सफल बोलीदाता घोषित किया जाता है और उसके बाद, यदि नीलामी की कार्यवाही किसी भी न्यायालय/न्यायाधिकरण द्वारा, बिक्री प्रमाण पत्र जारी करने और कब्जा सौंपने तक किसी भी स्तर पर रोक दी जाती है, जिसमें बैंक को आगे की कार्यवाही से रोकना शामिल है, तो बोलीदाता के पास उसके द्वारा जमा की गई ईएमडी/राशि या संपत्ति की बिक्री के लिए जमा की गई राशि पर किसी भी ब्याज की वापसी का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा। बैंक अपने विवेकाधिकार पर बिना किसी ब्याज और/या हर्जाने और/या दावों के जमा की गई धनराशि वापस कर देगा और किसी भी प्रकार के संचार पर विचार नहीं किया जाएगा। 21. पंजीकरण शुल्क, स्टांप शुल्क, कर आदि सहित सभी वैधानिक देय/अन्य देय राशि क्रेता को वहन करनी होगी। 22. वर्तमान नोटिस के तहत नीलामी–सह–बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति के संबंध में सभी आउटगोइंग शुल्क यानी नगरपालिका कर, रखरखाव/सोसाइटी शुल्क, बिजली और पानी के शुल्क और किसी भी अन्य बकाया या करों का भुगतान नीलामी खरीददार द्वारा ही किया जाएगा। 23. अन्य सभी आकस्मिक शुल्क (वर्तमान नीलामी के तहत संपत्ति के संरक्षण के लिए सुरक्षा शुल्क या रखरखाव शुल्क सहित लेकिन सीमित नहीं) बिक्री प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से उच्चतम बोली लगाने वाले द्वारा वहन किया जाएगा, जिसे बिक्री प्रमाण पत्र के पंजीकरण से पहले बैंक को अदा/प्रतिपूर्ति करनी होगी। हालांकि, प्राधि.त अधिकारी के विवेकाधिकार पर, भविष्य के लिए कोई मिसाल कायम किए बिना, किसी भी न्यायोचित और तर्कसंगत देरी को छूट के लिए माना जाएगा। 24. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194–ए के अनुसार, यदि बिक्री प्रतिफल रु. 50,00,000.00 (पचास लाख रुपये मात्र) और उससे अधिक है, तो बिक्री से प्राप्त राशि पर टीडीएस लागू होगा। सफल बोलीदाता/खरीदार बिक्री मूल्य से बंधक रखने वाले श्री शिव शंकर बंसल के पैन नंबर– AAHPB6855D तथा श्री गौरी शंकर बंसल पैन नंबर AAHPB6896J पक्ष में 0.5 : 0.5 के अनुपात में लागू टीडीएस (1%) काटकर जमा करेगा और उसे आयकर विभाग के पास जमा करेगा। इसके अलावा, बिक्री मूल्य का केवल 99% बैंक को प्रेषित किया जाना है। सफल बोलीदाता/क्रेता के पक्ष में बैंक द्वारा बिक्री प्रमाण पत्र केवल फॉर्म 16बी, फॉर्म 26क्यूबी और ऐसे टीडीएस की जमा राशि के चालान के प्राप्त होने पर जारी किया जाएगा। 25. ई–नीलामी **"जैसा है जहां है आधार", "जैसा है जैसा है आधार"** और "जो कुछ भी है आधार" यहाँ उल्लिखित नियमों और शर्तों के आधार पर आयोजित की जाएगी, हालांकि प्राधि.त अधिकारी के पास किसी भी नियम और शर्तों को बदलने/परिवर्तित करने का पूर्ण विवेकाधिकार होगा। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे बोली जमा करने से पहले संपत्ति की प्र.ति और विवरण, स्थिति, किसी भी भार, ग्रहणाधिकार, प्रभार, वैधानिक बकाया आदि के बारे में किसी भी भार के बारे में अपनी स्वतंत्र जांच करें, उप–पंजीयक कार्यालय और राजस्व रिकॉर्ड/नगरपालिका रिकॉर्ड और संबंधित संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रशासनिक सरकारी रिकॉर्ड में खोजें और खुद को संतुष्ट करें। .पया ध्यान दें कि बैंक/अधि.त अधिकारी/प्रतिभूत लेनदार नीलामी के तहत संपत्ति/संपत्तियों/संपत्तियों की फिटनेस/शीर्षक के संबंध में किसी भी तरह से गारंटी या कोई प्रतिनिधित्व नहीं करता है। बिक्री/नीलामी पूर्णतया बिना किसी सहारा के आधार पर होगी। 26. यदि सभी लागतों के साथ बैंक की देय राशि, उनके द्वारा या उसके द्वारा किए गए खर्च, जो बैंक को स्वीकार्य हो सकते हैं, कर्जदार/गारंटर/बंधकदाता/ओं की ओर से बिक्री के लिए निर्धारित तिथि को या उससे पहले किसी भी समय अदा किए जाते हैं, तो नीलामी के लिए प्रस्तुत संपत्ति की बिक्री रद्द की जा सकती है। प्राधि.त अधिकारी के पास किसी भी बोली को स्वीकार करने या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है, यदि स्वीकार्य नहीं पाया जाता है या बिना कोई कारण बताए किसी भी समय नीलामी की शर्तों को स्थगित/रद्द/स्थगित /बंद करने या बदलने का अधिकार सुरक्षित है और इस संबंध में उनका निर्णय अंतिम होगा। 27. प्रतिभूत परिसंपत्ति को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा 8 के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है। यदि बैंक या उसकी ओर से किए गए सभी लागतों, प्रभारों और व्ययों के साथ बैंक की धरोहर राशि या सुरक्षित मूल्य से अधिक राशि या इंटर–से बिडिंग के बाद उच्चतम बोली मूल्य से अधिक राशि, जैसा कि बैंक को स्वीकार्य हो सकता है, ऋणी/गारंटर/बंधक की ओर से/की ओर से, उनके द्वारा पहचाने गए एजेंटों/खरीदारों/निवेशकों के माध्यम से भी नीलामी के लिए निर्धारित तिथि को या उससे पहले किसी भी समय, बिक्री या नीलामी की उसी तारीख को या बोली की औपचारिकताओं के पूरा होने से पहले/बाद में उच्चतम बोली लगाने वाले की घोषणा सहित और बिक्री पुष्टि पत्र जारी करने के बाद भी लेकिन सफल बोली लगाने वाले को बिक्री प्रमाण पत्र जारी करने से पहले, बैंक को प्रदान कर दी जाती है/प्रदान करने का वचन दिया जाता है, तो संपत्ति की नीलामी/बिक्री प्राधि.त अधिकारी के पूर्ण विवेक पर और बिना कोई कारण बताए रद्द की जा सकती है। प्राधिकृत अधिकारी किसी भी/सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, यदि स्वीकार्य नहीं पाया जाता है या बिना कोई कारण बताए किसी भी समय नीलामी की शर्तों को स्थगित/रद्द/स्थगित/बंद कर या बदल सकता है और इस संबंध में उनका निर्णय होगा अंतिम होगा। बोलीदाता और/या सफल–बोलीदाता द्वारा किसी भी प्रति–प्रस्ताव/सशर्त प्रस्ताव/शर्तों पर विचार नहीं किया जाएगा। यह माना जाएगा कि बोलीदाताओं ने बिक्री के नियमों और शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और उक्त नियमों और शर्तों का पालन करेंगे 28. बोलीदाताओं को बिक्री के नियमों और शर्तों को पढ़ और समझ लिया गया माना जाएगा और वे उक्त नियमों और शर्तों का पालन करेंगे। 29. बोलीदाताओं को उचित इंटरनेट कनेक्टिविटी ; पावर बैक अप आदि, सुनिश्चित करनी चाहिए। इंटरनेट की विफलता, बिजली की विफलता, या तकनीकी कारणों या ई–नीलामी कार्यवाही को प्रभावित करने वाले कारणों/आकस्मिकताओं के कारण किसी भी व्यवधान के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। 30. कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड या उसके कर्मचारी बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति/संपत्तियों के संबंध में किसी भी व्यक्ति के किसी भी दावे के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। 31. वर्तमान नोटिस को बैंक की आधिकारिक वेबसाइट www.kotak.com पर भी अपलोड किया गया है और इच्छुक पक्ष इसे देख भी सकते हैं। 32. यदि अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र में बिक्री नोटिस के प्रकाशन के बीच कोई विसंगति है, तो ऐसे मामले में अंग्रेजी समाचार पत्र स्थानीय समाचार पत्र का स्थान लेगा और इसे अंतिम प्रति के रूप में माना जाएगा, इस प्रकार अस्पष्टता को दूर किया जाएगा। 33. अधिक जानकारी के लिए .पया अधि.त अधिकारी **श्री मनु श्रोत्रिय (मोबाइल नंबर +919667220601)** या बैंक के अधिकारी **श्री विनोद भरानी (मोबाइल नंबर 9810004107)** और **श्री विपुल दुबे (मोबाइल नंबर +91–8377905113)** से संपर्क करें।

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 6(2), 8(6), 8(7) और 9(1) के तहत बिक्री के संबंध में 15 दिन का कानूनी नोटिस

कर्जदार/गारंटर/बंधकदाता को एतद्द्वारा निम्नलिखित में देयता का निर्वहन करने के लिए अधिसूचित किया जाता है इस नोटिस की तारीख से 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर अद्यतन ब्याज और खर्चों के साथ ऊपर वर्णित बकाया राशि का भुगतान करें और ऐसा न करने पर "प्रतिभूत संपत्ति" (उपरोक्त वर्णित) ऊपर वर्णित नियमों और शर्तों के अनुसार बेची जाएगी।

स्थानः दिल्ली, तिथि : 14–10–2022 **प्राधिकृत अधिकारी, कृते कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड**

'हर घर सीवर कनेक्शन' के लिए गांवों में शिविर

ग्रेनो प्राधिकरण ने शुरू किया है 'हर घर सीवर कनेक्शन' अभियान

बिरौंडी चक्रसेनपुर और तुगलपुर में शिविर का आयोजन आज

ग्रेटर नोएडा (एसएनबी)। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत आने वाले गांवों को स्वच्छता अभियान से जोड़ने के लिए प्राधिकरण ने 'हर घर सीवर कनेक्शन' अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत अलग- अलग दिन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक गांवों में शिविर लगेगा।

इस अभियान के अंतर्गत अब तक ऐच्छर, जैतपुर, बिरौड़ा और साकीपुर में सीवर कनेक्शन शिविर लगाए जा चुके है। प्राधिकरण के प्रभारी जीएम प्रोजेक्ट व जनस्वास्थ्य विभाग के प्रभारी सलिल यादव ने बताया कि 17 अक्टूबर)को बिरौंडी चक्रसेनपुर और तुगलपुर में शिविर का आयोजन होगा। 18 अक्टूबर को बिरौंडी ताजपुर व हल्दौना, 19 अक्टूबर को डाबरा और गुर्जरपुर, 20 अक्टूबर को डाढ़ा और रामपुर जागीर, 21 अक्टूबर को ब्रह्मपुर गजरौला व सूरजपुर , 22 अक्टूबर को जुनपत व मलकपुर, 25 अक्टूबर को घोड़ी बछेड़ा व मुबारकपुर, 27 अक्टूबर को कयामपुर व लखनावली, 28 अक्टूबर को बेगम पुर व खानपुर , 29 अक्टूबर को मथुरापुर व सुथियाना, 31 अक्टूबर को हबीबपुर व रायपुर बांगर , 01 नवंबर को हल्दौनी व सिरसा, 02 नवंबर को जलपुरा व नवादा, 03 नवंबर को फतेहपुर रामपुर व कुलेसरा, 04 नवंबर को चुहड़पुर खादर व सादोपुर और 05 नवंबर को नामोली में शिविर लगाए जाएंगे। प्राधिकरण की सीईओ रितु माहे वरी ने सभी ग्रामीणों से सीवर कनेक्शन प्राप्त कर ग्रेटर नोएडा को और अधिक स्वच्छ बनाने में सहयोग की अपील की है।

भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन ठगी करने वाले दो चाइनीज गिरफ्तार

एक अभियुक्त का पासपोर्ट हो चुका है एक्सपायर

प्रलोभन देकर खाते में डलवा लेते थे रुपए

ग्रेटर नोएडा (एसएनबी)। एसटीएफ गौतमबुद्धनगर व नॉलेज पार्क कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने भारतीय नागरिकों को प्रलोभन देकर ऑनलाइन ठगी करने वाले दो चाइनीज नागरिकों को गिरफ्तार किया है। आरोपी चिट फंड कंपनी बना ऑनलाइन व फोन कॉल कर अपने खातों में रुपए डलवा लेते थे। पुलिस ने इनके पास से 150 से अधिक सिम, लैपटॉप, मोबाइल, पासपोर्ट, भारतीय व विदेशी मुद्रा सहित महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं। इस गिरोह के तार हवाला कारोबार से भी जुड़े हो सकते हैं। डीसीपी ग्रेटर नोएडा जोन अभिषेक वर्मा ने बताया कि गूरो मीडिया ऐप के माध्यम से ठगी करने की शिकायत मिली थी। ठगी के कई मामले प्रकाश में आने पर नॉलेज पार्क कोतवाली पुलिस मामले की छानबीन कर रही थी। साथ ही एसटीएफ गौतमबुद्धनगर की टीम भी इस पर काम कर रही थी। ठगों के बारे में अहम सुराग मिलने पर पुलिस की संयुक्त टीम ने शनिवार को दो चाइनीज नागरिकों को नॉलेज पार्क कोतवाली क्षेत्र से गिरफ्तार किया। अभियुक्तों की पहचान फेन चेनजिन व हुआंग कुआन के रूप में हुई है। पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से 96 एक्टिवेटेड, 70 एनएक्टिव सिम, दो लैपटॉप, एक टैब, चार मोबाइल फोन, गूरो मीडिया एप्प के 76 पंफलेट, एक एक्सपायर समेत दो पासपोर्ट, एटीएम कार्ड, चेक बुक व अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों के अलावा 30 हजार भारतीय रुपया, 110 चाइनीज करंसी युआन, 10 हजार कोरियन रुपया व 5 हजार कंबोडियन रुपया आदि सामान बरामद किया है।

सुमित मलिक ने जीती 1 लाख 51 हजार की कुश्ती

जल सेना के पहलवान को हराकर बने ऋषिपाल केसरी

महिला कुश्ती में पहलवान मानसी भड़ाना रहीं प्रथम

नोएडा (एसएनबी)। ऋषिपाल मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से रविवार को सेक्टर-15 में आयोजित दंगल में देशभर से आए 150 से अधिक पहलवानों ने हिस्सा लिया। महिला, पुरुष व बाल पहलवानों के कई मुकाबले हुए। इसमें सबसे बड़ी कुश्ती 1 लाख 51 हजार के पुरस्कार व ऋषिपाल केसरी टाइटल के लिए हुए।

इस कुश्ती में छत्रसाल स्टेडियम के पहलवान सुमित मलिक ने भारतीय जल सेना के पहलवान प्रदीप को हराकर इनामी राशि व टाइटल पर कब्जा किया। ट्रस्ट के प्रवक्ता मनीष चौधरी ने बताया कि इसके पहले चौधरी ऋषिपाल को मोरना में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद मुकाबले शुरू हुए। पुरुष पहलवानों के 29 मुकाबले हुए। इसमें सुमित मलिक ने ऋषिपाल केसरी का खिताब भी जीता। दूसरे स्थान पर प्रदीप रहे। तीसरा स्थान पहलवान नीरज ने मोनू कुराना को हराकर प्राप्त किया। दंगल में महिला तथा बाल पहलवानों की भी कुश्तियां हुई। महिलाओं की कुश्ती में प्रथम स्थान पर पहलवान मानसी भड़ाना रहीं। दूसरे स्थान पर जगरूप राठी व तीसरे स्थान पर अकांक्षा रहीं। बाल पहलवानों को प्रोत्साहित करने के लिए तकरीबन 100 कुश्तियां हुई।

इस मौके पर पूर्व आईपीएस आरके चतुर्वेदी, पूर्व आईएएस गणेश शंकर त्रिपाठी, विधायक जोगिंदर सिंह अवाना, विधायक सही राम पहलवान, दिल्ली कुश्ती संघ के अध्यक्ष व हिंद केसरी जयप्रकाश पहलवान, पूर्व डीसीपी ज्ञानेंद्र सिंह अवाना, एनईए अध्यक्ष विपिन मल्हन मौजूद थे। नेत्रपाल, नवल किशोर, वंदना चौधरी, विजय खत्री ने रेफरी की भूमिका निभाई।

शहर के विकास में उद्यमियों का होता है बड़ा योगदान : नागर

ग्रेटर नोएडा (एसएनबी)। दादरी विधायक तेजपाल नागर ने कहा कि शहर के विकास में उद्यमियों का बड़ा योगदान होता है। विधायक ने क्षेत्र में उद्योगों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। तेजपाल नागर इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आईआईए) की ग्रेटर नोएडा चैप्टर द्वारा आयोजित दिवाली मिलन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान पत्रिका एवं कलैंडर का विमोचन किया गया। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे एनपीसीएल के वरिष्ठ अधिकारी सारनाथ गांगुली ने विद्युत आपूर्ति में सुधार का आश्वासन दिया। अग्निशमन विभाग के अधिकारी इंद्रपाल ने भी संवाद बढ़ाने पर जोर दिया। एसोसिएशन के चेयरमैन जितेंद्र राणा ने पिछले वर्ष का लेखा- जोखा सदन के सामने प्रस्तुत किया।

बच्ची से दुष्कर्म के दोषी पुलिस की पकड़ से दूर

साहिबाबाद (एसएनबी)। साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र 4 में पीएमडी कंपनी के पास शनिवार को दुष्कर्म की शिकार नग्न अवस्था में अज्ञात रोती हुई मिली बच्ची के मामले में अभी पुलिस के हाथ खाली है । पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर अपराधी की तलाश कर रही है। अपर पुलिस अधीक्षक नगर ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि 15 अक्टूबर की सुबह कुछ लोगों को झाड़ियों में एक ढाई साल की बच्ची रोती हुई मिली थी। उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। इस मामले में संजीबा पत्नी नौशाद की ओर से मुकदमा दर्ज किया गया है। इस लड़की की मां का पता चल गया है, वह पास ही में भीख मांग कर अपना गुजारा करती थी। वह मानसिक रूप से कमजोर बताई गई है। यह बच्ची उसी के साथ रहती थी थी। बच्ची की मां कुछ बताने या कहने की स्थिति में नहीं है। पुलिस ने इस मामले में 4 टीमें बनाकर के अपराधियों की तलाश शुरू कर दी है। 5 संदिग्धों से हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

नौकरी के नाम पर ठगी वाला डॉक्टर पुलिस की पकड़ से दूर

नोएडा(एसएनबी)। थाना सेक्टर-20 पुलिस ने विदेश में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के फरार पांच सदस्यों को अभी तक नहीं पकड़ पाई है। गिरोह में शामिल आरोपी डॉक्टर न्यू फ्रेंडस कॉलोनी स्थित अपने क्लीनिक को बंद कर फरार है।

उल्लेखनीय है कि ठग गिरोह दिल्ली एनसीआर में दफ्तर खोलकर लोगों को व्हाट्सएप पर विज्ञापन जारी कर अपना शिकार बनाते थे। चार सालों में इन्होंने दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, कनॉट प्लेस, संगम विहार व नोएडा सेक्टर-27 में दफ्तर खोलकर अपने गोरखधंधे को अंजाम दिया। गिरोह में शामिल आरोपी वैजनाथ यादव, मुस्तकीम उर्फ समीर, फिरोज, डॉ. दानिश और कुलदीप अभी तक फरार है। एसीपी रजनीश वर्मा ने बताया कि डॉ. दानिश का दिल्ली में क्लिनिक है, गिरोह का खुलासा होने के बाद से ही वह क्लिनिक बंद कर फरार है। डॉ. दानिश उसके पास आने वाले मरीजों को विश्वास में लेकर उन्हें विदेश में नौकरी के सपने दिखाता था, साथ ही पांच हजार रुपए में फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट तैयार करता था। पुलिस आरोपियों की तलाश में अबतक 100 से अधिक ठिकानों पर दबिश दे चुकी है। उन्होंने दावा किया है कि जल्द ही पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा सूचित करना है कि स्व. कुमारी शारदा सक्सेना पुत्री श्री बाल मुकन्द सहाय निवासी ए–759, सेक्टर–19, नोएडा, भूखण्ड संख्या डी–155, सेक्टर–55, नोएडा की स्वामी थी। स्व. कुमारी शारदा सक्सेना की मृत्यु दिनांक 11.06.2011 को हो चुकी है। स्व. कुमारी शारदा सक्सेना ने उपरोक्त भूखण्ड की पंजीकृत वसीयत डॉ. शुभि सहाय पत्नी डॉ. राहुल माथुर निवासी 209/11, भूतल, न्यू एडीए कालोनी, अशोक नगर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के नाम दिनांक 21.03.2014 को बही संख्या–3, जिल्द संख्या 576, के पृष्ठ संख्या 245 से 254 तक रजि. संख्या 265 को सब रजिस्ट्रार नोएडा में करायी थी। अब भूखण्ड संख्या भूखण्ड संख्या डी–155, सेक्टर–55, नोएडा का प्राधिकरण में अंतरण वसीयत के आधार पर डॉ. शुभि सहाय के नाम किया जाना प्रस्तावित है। यदि इस संबंध में किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई आपत्ति है तो कृपया अपनी आपत्ति समस्त साक्ष्य सहित नोएडा प्राधिकरण के आवासीय भूखण्ड विभाग सेक्टर–6, नोएडा में इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अंदर दर्ज करायें।

—डॉ. शुभि सहाय

कमिश्नर ने एसटीपी का निरीक्षण कर दिए जांच के निर्देश

गढ़मुक्तेश्वर (एसएनबी)। कमिश्नर ने अधिकारियों के साथ गढ़मुक्तेश्वर में स्थित एसटीपी प्लांट का निरीक्षण कर जांच के आदेश दिया। शनिवार को मंडलायुक्त सेल्वा कुमारी जे गढ़मुक्तेश्वर के खादर क्षेत्र में लगने वाले महाभारत कालीन गंगा मेला मार्ग व स्थल का निरीक्षण करने जा रही थी। इससे पूर्व उन्होंने अधिकारियों के साथ एसटीपी प्लांट का निरीक्षण किया। साथ ही निर्देशित किया कि किसी भी दशा में गंगा में दूषित जल नहीं होना चाहिए। उनके द्वारा मुख्य विकास अधिकारी व एसडीएम को एसटीपी प्लांट के जांच के आदेश दिए। कमिश्नर ने प्राचीन शिव मंदिर में पूजा अर्चना भी की।

आवास फाईनेंसियर्स लिमिटेड

Aavas FINANCIERS LTD
SAPNE AAPKE, SAATH HAMAARA

(पूर्व में ''ए.यू. हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड'' के नाम से ज्ञात) (CIN: L65922RJ2011PLC034297)

रजि. & कॉर्पोरेट ऑफिस: 201-202, दूसरी मंजिल, साउथ एण्ड स्क्वायर, मानसरोवर इण्डस्ट्रियल एरिया, जयपुर-302020

निविदा सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण व प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के शर्तें व नियम 8(6) के अन्तर्गत अचल सम्पत्ति की नीलामी विक्रय सूचना

आमजन तथा एवं व्यक्ति विशेष देनदारों तथा जमानती को सूचित किया जाता है कि निम्न उल्लेखित प्रत्याभूत ऋणदाता की गिरवी/प्रभारित अचल सम्पत्ति, जिसका भौतिक कब्जा आवास फाईनेंसियर्स लिमिटेड (पूर्व में एयू फाईनेंसियर्स (इण्डिया) लिमिटेड के नाम से ज्ञात) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया था, प्रत्याभूत ऋणदाता ''जैसे है जहाँ है'' जो भी और जैसा भी है के आधार पर विक्रय करने जा रहे है। प्रकरणों का विशेष विवरण इस प्रकार है–

ऋणी/सह–ऋणी/जमानती/ बंधककर्ता का नाम	बकाया राशि दिनांक	13(2) डिमांड नोटिस की राशि व दिनांक	कब्जे की दिनांक	संपत्ति का विवरण (प्रतिभूति आस्ति)	संपत्ति का आरक्षित मूल्य	संपत्ति की धरोहर राशि	निविदा खोले जाने की तिथि व समय	निविदा खोलने, जमा कराने व नीलामी का स्थान आवास फाईनेंसियर्स लि.
रोहित कुमार, श्रीमती कुसुम लता खाता सं. : LNNOH00317-180060164	₹ 1,013,848.00/- बकाया दिनांक 14 अक्टूबर 2022 तक	15 अप्रैल 2021 ₹ 806246/- बकाया दिनांक 7 अप्रैल 2021	22 सितम्बर 2022	प्लॉट नं. 1, ग्राम गिरधरपुर सुनारसी, फ्लैट नं. 203, पहली मंजिल, खसरा नं. 191, नन्द वाटिका, वाटिका कॉलोनी, दादरी, गौतम बुद्ध नगर, उत्तरप्रदेश 201312, क्षेत्रफल 402 वर्ग फीट	₹ 1134000/-	₹ 113400/-	प्रातः11 बजे से दोपहर 1 बजे तक दिनांक 17 नवम्बर 2022	प्लॉट नं. 17, ब्लॉक ''बी'', सेक्टर – 1, फेस – 1, नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर – 201301, उत्तरप्रदेश– भारत

निविदा की शर्तें : 1. निविदा में सहभागिता करने हेतु इच्छुक खरीददार अपनी निविदा शाखा में उपलब्ध निविदा प्रपत्र जो कार्य दिवस के समय शाखा से प्राप्त किये जा सकते हैं, में अपने द्वारा निवेदित मूल्य लिखकर सीलबंद लिफाफे में जिसके ऊपर ''टेण्डर ऑफर सम्पत्ति का विवरण'' लिखा हो के साथ उपरोक्त वर्णित धरोहर राशि के चैक/बैंकर्स चैक/मॉंग ड्राफ्ट जो कि प्राधिकृत अधिकारी, आवास फाईनेंसियर्स लिमिटेड (पूर्व में ''ए.यू. हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड'' के नाम से ज्ञात) के पक्ष में जयपुर में देय हो, नीलामी से पहले कार्य दिवस के दौरान आवास फाईनेंसियर्स लिमिटेड (पूर्व में ''ए.यू. हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड'' के नाम से ज्ञात) के उपरोक्त पते पर जमा करा कर निविदा में भाग ले सकते हैं। प्राप्त निविदाएं आवास फाईनेंसियर्स लिमिटेड (पूर्व में ''ए.यू. हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड'' के नाम से ज्ञात) के उपरोक्त पते पर उपस्थित निविदाकर्ताओं के समक्ष खोली जावेगी। इसके पश्चात निविदाकर्ताओं के बीच खुली बोली लगवाने का विकल्प प्राधिकृत अधिकारी के पास सुरक्षित है। यदि बोली सफल नहीं होती है तो असफल निविदाकर्ताओं को उसी दिन धरोहर राशि लौटा दी जायेगी। 2. सफल निविदाकर्ता को 25 प्रतिशत राशि (धरोहर राशि सहित) प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा सफल निविदाकर्ता के नाम की उद्घोषणा करने के तुरन्त पश्चात, जमा करवाना होगा तथा शेष राशि विक्रय की पुष्टि के दिन से 30 दिन के अन्दर जमा कराना आवश्यक है, अन्यथा जमा राशि बिना सूचना बैंक में जब्त समझी जायेगी। 3. प्राधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण बताये बोली स्वीकार अथवा अस्वीकार करने या निविदा स्थगित करने का पूर्ण अधिकार है। निविदा जमा कराने व निविदा खोलने वाली दिनांक को राजकीय अवकाश होने की स्थिति में निविदा अगले कार्य दिवस वाले दिन होगी। 4. सम्पत्ति के निरीक्षण हेतु सम्पत्ति अथवा निविदा से संबंधित जानकारी हेतु इच्छुक निविदाकर्ता, आवास फाईनेंसियर्स लिमिटेड (पूर्व में ''ए.यू. हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड'' के नाम से ज्ञात) 201–202, दूसरी मंजिल, साउथ एण्ड स्क्वायर, मानसरोवर इण्डस्ट्रियल एरिया, जयपुर–302020 या जोली कुमार शुक्ला 9358824187 नोटः– यह सूचना पत्र ऋणी/जमानती/बंधककर्ता के लिए भी नियम 9 (1)/8(6) के अधीन 15/30 दिवस का सूचना पत्र माना जायेगा कि यदि बैंक को देय राशि की अदायगी उनके द्वारा नहीं की जाती है तो उक्त संपत्ति निविदा द्वारा उपरोक्त दिनांक पर ही विक्रय की जाएगी।

दिनांक: 17.10.2022 स्थानः जयपुर **प्राधिकृत अधिकारी आवास फाईनेंसियर्स लिमिटेड**